५५

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 1377-एक/2012 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 31-3-2012 - पारित व्दारा - अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर जिला सतना - प्र०क्र० 130/2011-12 अपील

लल्लू प्रसाद पुत्र स्व.रामेश्वरा चौधरी
सेवानिवृत्त शिक्षक, निवासी उपरहटी
सोहावल तहसील रघुराजनगर, सतना ---आवेदक

विरूद्ध

1- यशोदा पत्नि स्व. छोटेलाल चौधरी
२- गोपालप्रसाद पुत्र स्व०छोटेलाल चौधरी
3- मालती पत्नि स्व. रामकुमार चौधरी
तीनों उपरहटी सोहावल तहसील
रघुराजनगर,जिला सतना , मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक आर०के०अहिरवार)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री जशराम विश्वकर्ता)

आ दे श

(आज दिनांक 9 - 07 -2018 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 130/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-3-2012 के विरूद्ध म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मौजा शेरगंज की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 53 पर आदेश दिनांक 24-11-1984 से किये गये नामान्तरण के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर के समक्ष दिनॉक

27-12-2011 को अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर ने प्रकरण क्रमांक 130/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-3-2012 से अपील बेरूम्याद होना प्रस्तुत मानकर अग्राह्य की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

३/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर दोनों पक्षों के अभिभाषकों ने लेखी बहस प्रस्तुत की। लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ लेखी बहस में अंकित तथ्यों, निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि मौजा शेरगंज की नामान्तरण पंजी के स०क० 53 पर आदेश दि०24-11-1984 से किये गये नामान्तरण के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर के समक्ष दि० 27-12-2011 को अपील प्रस्तुत की गई है, जो 27 वर्ष के विलम्ब से है तब क्या 27 वर्ष का विलम्ब क्षमा किया जा सकता है ?

1. **पी.के.रामचन्द्र बनाम स्टेट आफ केरल A.I.R. 1998 S.C. 2276 का न्याय दृष्टांत है कि विलम्ब क्षमा किये जाने के सम्बन्ध में जो स्पष्टीकरण व आधार वर्णित थे उनको देखने से यह दर्शित होता था कि विलम्ब का समुचित व पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। विलम्ब क्षमा करने से इंकार किया गया।**
2. **ओरिएन्टल अरोमा केमिकल इंडस्ट्रीज लिमि० बनाम गुजराज इंडस्ट्रियल डवलपमेंट 2010(3)म०प्र०लॉ०ज० 506 सुप्रिम कोर्ट का न्याय दृष्टांत है कि अपील प्रस्तुती में 4 वर्ष से अधिक का विलम्ब था। उच्च न्यायालय ने इस अवधारणा पर कि विलम्ब क्षमा करने के आवेदन में अंतर्निहित अभिकथनों के खंडन हेतु उत्तर फाईल नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 5 में विवेक का प्रयोग करने के लिये न्यायिक तौर पर स्वीकृत पैरामीटर को अनदेखा किया गया था। परिणामत: आक्षेपित आदेश अपास्त करते हुये विलम्ब क्षमा करने का आवेदन निरस्त किया गया।**

3. माधव बनाम रंभादेवी 2012 (4) **M.P.J.R. 39** छत्तीसगढ न्याय दृष्टांत है कि विलम्ब के आधार पर प्रतिपक्ष के हक में उम्पन्न अधिकार को सहजता से हस्तक्षेप कर विनष्ट नहीं किया जा सकता।

अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर ने आदेश दिनांक 31-3-12 से आवेदक की निगरानी इस आधार पर अग्राह्य की है :-

"आलोच्य आदेश वर्ष 1984 का है जिससे 27 वर्ष से अधिक अवधि उपरांत यह अपील पेश की गई है किन्तु धारा ०5 म्याद अधिनियम के आवेदन पत्र में इतने लंबे विलम्ब का कोई समाधान कारक कारण नहीं बताया गया है। अपीलार्थी व्दारा स्वतः अपने अपील मेमो में एंव धारा ०5 म्याद अधिनियम के आवेदन पत्र में लेख किया गया है कि वह सेवा निवृत शिक्षक है '। इस आधार पर भी एक शिक्षित एंव शासकीय सेवा करने वाले व्यक्ति को 27 वर्ष तक अपनी भूमियों की जानकारी न होने का कारण स्वीकार योग्य नहीं है। ''

अनुविभागीय अधिकारी का उक्तानुसार निष्कर्ष उचित आधारों पर आधारित है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 31-3-12 में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी, रघुराजनगर जिला सतना व्दारा प्रकरण क्रमांक 130/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-3-2012 उचित होने यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर